FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

ताजाराम [?] — बनाम उदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 88,188 Rt Act नं. 53/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.6.2020	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री खेताराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88,188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/6/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
09/06/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम [?] सियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकबाली जवाबदावा पेश किया गया तथा वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1- ताजाराम पुत्र श्री उदाराम जाति मेघवाल निवासी- जानुओं की ढाणी (खींप) PW-2- सोनाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति- मेघवाल निवासी जानुओं की ढाणी (खींप) तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 एवं DW-1- उदाराम पुत्र श्री लालाराम [illegible] जाति- मेघवाल निवासी- जानुओं की ढाणी (खींप) के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली [illegible] अतः वास्ते बहस पत्रावली [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	ताजाराम [thumb impression] उदाराम सोनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:23:39 IST
Reason: SelfAttested

08/07/2020

पत्रावली पेश है। फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर वाद के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री मुरत्तिब होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:23:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 53/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. भीखाराम पुत्र उदाराम
2. मिश्राराम पुत्र उदाराम
3. जैकाराम पुत्र उदाराम
4. तजाराम पुत्र उदाराम
5. लूणाराम पुत्र उदाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1. खेमाराम पुत्र लूणाराम
   5/2. शोभाराम पुत्र लूणाराम
   5/3. प्रकाश पुत्र लूणाराम
   5/4. नरपतराम पुत्र लूणाराम

जातियान्–मेगवाल,
निवासीयान्–जान्दुओं की ढाणी,
खींपर, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

1. उदाराम पुत्र लालाराम
   जाति– मेगवाल, निवासी– जान्दुओं की ढाणी, खींपर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक आर.एम. जी.बी. बाटाडू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण

–: निर्णय :– दिनांक : 8/7/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 740/577 रकबा 5.1857 हेक्टेयर व मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार मण्डल खींपर के खेत खसरा नम्बर 21, 24, 382/172 रकबा क्रमशः 1. 8526, 5.3960, 4.8864 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज लालाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण संख्या 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 के दादा है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। [illegible] वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकार [illegible] हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:43:39 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण लालाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 740/577 रकबा 5.1857 हेक्टेयर व मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार मण्डल खींपर के खेत खसरा नम्बर 21, 24, 382/172 रकबा क्रमशः 1.8526, 5.3960, 4.8864 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 8/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:23:39 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

भीखाराम पुत्र उदाराम वगैरा उदाराम पुत्र लालारा वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–53/2020. **निर्णय दिनांक :–** 8/7/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा खींपर पटवार मण्डल खींपर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 740/577 रकबा 5.1857 हेक्टेयर व मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार मण्डल खींपर के खेत खसरा नम्बर 21, 24, 382/172 रकबा क्रमशः 1.8526, 5.3960, 4.8864 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:23:39 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीगण

1. भीखाराम पुत्र उदाराम
2. मिश्राराम पुत्र उदाराम
3. जैकाराम पुत्र उदाराम
4. तजाराम पुत्र उदाराम
5. लूणाराम पुत्र उदाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1. खेमाराम पुत्र लूणाराम
   5/2. शोभाराम पुत्र लूणाराम
   5/3. प्रकाश पुत्र लूणाराम
   5/4. नरपतराम पुत्र लूणाराम
   जातियान्–मेगवाल,
   निवासीयान्–जान्दुओं की ढाणी,
   खींपर, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. उदाराम पुत्र लालाराम
   जाति– मेगवाल, निवासी– जा...
   की ढाणी, खींपर, तहसील–बायतु
   जिला–बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी.
   बाटाडू

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

सेवामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:23:39 IST
Reason: SelfAttested